(64)

R.B.E.NO. 133/98

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-97/PM1/27 New Delhi, dated 17.6.98

The General Manager (P)
All Indian Railways.
(As per standard lists).

Sub Amendment to IREM.

The Ministry of Railways are pleased to direct that the Indian Railway Establishment Manual, Volume-I (1989 Edition) may be amended as per Advance Correction Slip No. 46 enclosed.

(J.S. Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board

DA : As above.

NO.E(NG)I-97/PM1/27 New Delhi, dated 17.6.98

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-C, Rail Bhavan, New Delhi, (with 35 spares)

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

.....2/-

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotees Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

for Secretary/Railway Board

Copy to :-

PSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME.

PSs to ADV(S), DG(RHS), EDE, EDV, EDE(N), EDE(Res), EDA, EDE(IR), EDPC I&II, JDE(RRB), JDE(R), JDE(D&A), JDPC, DDE(R) I&II, DD(Code Revision), DDE(N)II, DDE(LR)I, E(NG)II, E(Rsp)I,II&III, E(SCT)I&II, Sec(C), E(G) with two spares, AC-III(15 spares).

.....

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL

Chapter II, Section 'B' containing Rules governing promotion of Group 'C' staff.

Advance Correction Slip No. 46

1. Insert the following as Note (i) below para 219(g):-

"Assessment under item personality, address, leadership and academic/technical qualifications should be made on the basis of the entries in the relevant columns in the Confidential Reports, wherever maintained."

2. As a corollary to the above, re-number the existing Notes (i) & (ii) as (ii) & (iii) respectively.

(Authority:- Ministry of Railway's letter No.E(NG)I-97/PM1/27 dated 4.3.98 and 17.6.98).

.....

आर.बो.ई.सं. 133/98

भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं० ई(एनजी)1-97/पीएम1/27 नई दिल्ली, दि. 17.6.98

महाप्रबंधक(कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें
(मानक पृष्ठियों के अनुसार)

विषय: भारतीय रेल स्थापना नियमावली में संशोधन.

रेल मंत्रालय, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, खिल्द-I (1989 संस्करण) में, संलग्न अग्रिम द्वारा पत्र सं० 46 के अनुसार संशोधन करने का निदेश करता है.

(जे.एस.गुसाईं)
संयुक्त निदेशक, स्था.(अराज.)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक : यथोक्त

सं० ई(एनजी)1-97/पीएम1/27 नई दिल्ली, दि. 17.6.98

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित :

1. महासचिव, आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, नेशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजपुर मार्ग, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. महासचिव, फैडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :

अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यांत्रिक, सदस्य यातायात, सदस्य बिजली, सदस्य इंजी. के निजी सचिव तथा अन्य.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली

अध्याय II, खण्ड "ब" में अंतर्विष्ट ग्रुप "ग" के कर्मचारियों की पदोन्नति को शासित करने वाले नियम :

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं० : 46

1. पैरा 219(छ) के नीचे नोट (II) के रूप में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें :

"व्यक्तित्व, शैली, नेतृत्व तथा शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं मद के अंतर्गत मूल्यांकन गोपनीय रपटों में संगत कालमों में पुंविष्टियां, जहां की जाती हैं, के आधार पर किया जाना चाहिए."

2. उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप मौजूदा नोट (II) और (III) को क्रमशः नोट (III) और (IV) के रूप में पुनः क्रमांकित करें.

(प्राधिकार: रेल मंत्रालय का दि. 4.3.98 तथा 17.6.98 का पत्र सं० ई(एनजी)I-97/पीएम-1/27)
